

कार्यालय - नजारत अनुभाग, जिला जजी लखीमपुर-खीरी।

इशतिहार

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अहाता दीवानी कचेहरी लखीमपुर-खीरी के प्रांगण में स्थित कैन्टीन नं०-1, कैन्टीन नं०-2, स्टेशनरी विक्रय, साइकिल/मोटर साइकिल स्टैंड, चूरा-चबेना, जलजीरा एवं ठण्डा पानी, फल, फोटो स्टेट, फोटो ग्राफर, स्टेशनरी शाप/फोटोस्टेट नं०-1, स्टेशनरी शाप/फोटोस्टेट नं०-2 आदि के ठेके हेतु वर्ष 2025-2026 के लिए दिनांक 01-04-2025 से 31-03-2026 तक की अवधि के लिए अलग-अलग ठेकों की नीलामी दिनांक 24-03-2025 को मीटिंग हाल जिला जजी-खीरी स्थित दीवानी न्यायालय प्रांगण में अपराह्न 4.30 बजे से की जायेगी।

अतएव जिस किसी को उक्त ठेकों की नीलामी हेतु बोली बोलना हो वह निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने के उपरान्त बोली बोल सकता है।

1. स्थाई आवास प्रमाण पत्र।
2. फोटो पहचान पत्र।
3. दो फोटो किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित एवं हैसियत प्रमाण पत्र।
4. कैन्टीन नं०-1, कैन्टीन नं०-2, साइकिल/मोटर साइकिल स्टैंड, फोटो ग्राफर, चूरा चबेना, फोटो स्टेट, स्टेशनरी शाप/फोटो स्टेट नं०-1 व 2 आदि की बोली बोलने वाले को बतौर काशनमनी **रुपये 10,000/-** बोली बोलने के पूर्व (उप नाजिर के पास टेण्डर द्वारा नकद) जमा करनी होगी। बोली बोलते समय नकद धनराशि काशनमनी के रूप में स्वीकार नहीं की जायेगी। इसी प्रकार स्टेशनरी विक्रय, फल विक्रय, जलजीरा एवं ठण्डा पानी नीलामी विक्रय की बोली बोलने वाले को रूपये 1000/- बोली बोलने के पूर्व उपनाजिर के पास काशनमनी के रूप में (जरिये टेण्डर) जमा करना होगा। यदि बोली बोलने वाला व्यक्ति इस जजी का पूर्व का ठेकेदार है तो उसे दिनांक 24-03-2025 तक केन्द्रीय नाजिर से अदेयता प्रमाण पत्र प्राप्त करके नीलामी के पूर्व दाखिल करना होगा।
5. जिस व्यक्ति के ठेके की बोली नीलामी अधिकारी द्वारा अन्तिम रूप से स्वीकृत की जायेगी उसे बोली समाप्त होने के तुरन्त बाद बोली की धनराशि का 1/4 भाग नकद केन्द्रीय नाजिर के पास जमा करना अनिवार्य होगा।
6. जो ठेके मु० 10,000/- (दस हजार रूपये) से अधिक में दिये जायेंगे, उनके ठेकेदारों को 1/4 भाग तत्काल, 1/4 भाग 30 जून, 2025 तक, 1/4 भाग 30 सितंबर, 2025 तक तथा शेष 1/4 भाग 31 दिसंबर, 2025 तक जमा करना अनिवार्य होगा।
7. यदि सम्बन्धित ठेकेदार अपने ठेके की 1/4 त्रैमासिक धनराशि बिन्दु संख्या 6 में दिये त्रैमासान्त के अनुसार जमा नहीं कर पाता है तो उक्त ठेकेदार का ठेका निरस्त कर दिया जायेगा तथा ठेके से सम्बन्धित संपूर्ण धनराशि की वसूली प्रक्रिया अमल में लायी जायेगी।
8. किसी भी ठेके की नीलामी की अधिकतम बोली तब तक अन्तिम नहीं समझी जायेगी जब तक कि उसे माननीय जिला न्यायाधीश खीरी द्वारा अनुमोदित न कर दिया जाय। माननीय जिला न्यायाधीश खीरी को यह अधिकार होगा कि किसी भी ठेके की अधिकतम बोली बिना कोई कारण बताये स्वीकार न करे तथा कम बोली अपनी इच्छा विवेक से स्वीकार कर लें।
9. ठेकेदार द्वारा जो काशनमनी जमा की जायेगी उसे ठेके की अधिकतम अवधि समाप्त होने के बाद वापस की जायेगी। यदि किसी भी ठेकेदार द्वारा उपरोक्त शर्तों के अनुसार नीलामी की धनराशि समय से जमा नहीं की जाती है तो जिला न्यायाधीश महोदय को यह अधिकार होगा कि वह काशनमनी को जब्त कर ठेका निरस्त कर दें।
10. जिन खाद्य पदार्थों की बिक्री के लिए लाइसेन्स की जरूरत है उनके ठेकेदारों को नगरपालिका या स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकारी से उन पदार्थों की बिक्री के लिए लाइसेन्स प्राप्त करना होगा।
11. प्रत्येक ठेकेदार ठेकादारी का कार्य स्वयं या अपने प्रतिनिधि या नौकरों के माध्यम से संचालित करायेगा। ठेके को किसी व्यक्ति के नाम स्थानान्तरित नहीं किया जा सकेगा। ठेकेदार द्वारा किसी को शिकमी ठेकेदार के रूप में न ही रखा जा सकेगा यदि कोई ठेकेदार ऐसा करता पाया जाता है तो जिला न्यायाधीश महोदय को यह अधिकार होगा कि वह ठेका निरस्त कर ठेके की धनराशि को जब्त कर लें।
12. सभी खाद्य पदार्थों के ठेकेदारों को अपनी दुकान व ठेलोंपर बिक्री हेतु सामानों की सूची तथा मूल्य का विवरण लगाना अनिवार्य होगा। सभी खाद्य पदार्थों का मूल्य व सामान की गुणवत्ता स्थानीय बाजार के भाव के अनुरूप होगी। खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता किसी भी समय प्रभारी अधिकारी नजारत द्वारा देखी जा सकेगी। सभी खाद्य पदार्थों को जाली से ढक कर रखना अनिवार्य होगा।

13. किसी भी ठेकेदार को अपने ठेके के स्थान पर दीवानी न्यायालय के प्रांगण में स्थायी/अस्थायी निर्माण करने का अधिकार नहीं होगा। ठेकेदार को दिनांक 31-03-2026 को सांय 5 बजे तक दीवानी न्यायालय प्रांगण से अपनी दुकान, ठेला व अन्य सामान हटाना होगा।
14. साइकिल/मोटर साइकिल स्टैण्ड के ठेकेदार प्रत्येक व्यक्ति को जो उनके स्टैण्ड पर साइकिल/मोटर साइकिल खड़ी करते हैं। उसे दिन के दो टोकन जारी करने होंगे जिसमें से एक टोकन सम्बन्धित वाहन पर लगाया जायेगा व दूसरा टोकन उसी नम्बर का सम्बन्धित व्यक्ति को दिया जायेगा। स्टैण्ड में खड़े वाहन के खो जाने पर सम्बन्धित ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी। सम्बन्धित वाहन उस बाड़े के अन्दर ही रखे जा सकेंगे। स्टैण्ड पर खड़े करने वाले वाहनों का दैनिक, मासिक व वार्षिक शुल्क की सूची ठेकेदार को खुले में टाँगना होगा।
15. जिन ठेकेदारों के नाम ठेका स्वीकृत होगा उन ठेकेदारों को ठेका स्वीकृत होने के दिन से 15 दिन के अन्दर वर्ष 2025-2026 हेतु ठेका अनुमोदन की तिथि से ठेकों का ठेकानामा निर्धारित स्टाम्प पर माननीय जिला जज खीरी के निर्देशोंनुसार हस्ताक्षरित व निष्पादित करके दाखिल करना होगा और ठेकानामा निष्पादन का खर्च सम्बन्धित ठेकेदार को स्वयं वहन करना होगा।
16. न्यायालय परिसर में ठेका चूरा-चबेना, जलजीरा व ठण्डा पानी, प्रति ठेले का ठेका होगा। ठेला पुरानी सिविल कोर्ट बिल्डिंग में पोर्टिको के सामने मैदान में लगाया जायेगा। परिसर में बनी सड़कों/ सड़कों के किनारे कोई भी ठेला नहीं लगाया जायेगा। प्रत्येक ठेले के पास कूड़ा इकट्ठा करने हेतु एक-एक डस्टबिन रखा जाना अनिवार्य होगा। परिसर में अनावश्यक गन्दगी न फैले इसका दायित्व भी उक्त ठेकेदारों का होगा।
17. ठेकेदारों को दैवी आपदा, हड़ताल आदि में दुकान बंद होने पर किसी प्रकार की छूट प्रदान नहीं की जा सकेगी।

अवलोकित/अनुमोदित

अवलोकित/अनुमोदित
7.3.25

अध्यक्ष - ठेका नीलामी समिति /
प्रथम अपर जिला जज,
मुख्यालय - खीरी

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित-

1. नोटिस दीवानी न्यायालय, खीरी।
2. नोटिस बोर्ड कलक्ट्रेट, खीरी।
3. नोटिस बोर्ड जिला पंचायत, खीरी।
4. नोटिस बोर्ड नगरपालिका परिषद, खीरी।
5. नोटिस बोर्ड अधिशाषी अभियन्ता पी०डब्लू०डी०, खीरी।
6. नोटिस बोर्ड सदर चौराहा, खीरी।
7. जिला सूचना केन्द्र, खीरी।
8. प्रतिलिपि निदेशक सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ को सर्वाधिकार प्रसार वाले प्रमुख समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन हेतु प्रेषित हो।

आज्ञा से
केन्द्रिय कार्यालय
जिला जज, खीरी